

डिक्री वमुकदमें ईत्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 406/2024

बलराज सिंह पुत्र स्व. श्री बुटा सिंह जाति जटसिख नि. सिंहपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
प्रीतइन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुरमीत सिंह जाति जटसिख नि.सिंहपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
- वादीगण

बनाम्


- वीरपाल कौर पुत्री स्व. श्री बुटा सिंह जाति जटसिख नि.सिंहपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
- सन्तोख कौर पुत्री स्व. श्री बुटा सिंह जाति जटसिख नि.सिंहपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
- ननजीत कौर पुत्री स्व. श्री बुटा सिंह जाति जटसिख नि.सिंहपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
- रूपिन्द्र कौर पत्नी स्व. श्री गुरमीत सिंह जाति जटसिख नि.सिंहपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
- अरुणप्रीत कौर पुत्री स्व. श्री गुरमीत सिंह जाति जटसिख नि. सिंहपुरा तह.संगरिया।
- तीर्थराम उर्फ तीर्थदास पुत्र श्री घनश्यामदास जाति अरोड़ा(भाटिया) निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
- लडिदाराम उर्फ लुडिन्दाराम पुत्र श्री घनश्यामदास जाति अरोड़ा(भाटिया) निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
- हरिराम पुत्र श्री घनश्यामदास जाति अरोड़ा(भाटिया) निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
- केवलराम पुत्र श्री घनश्यामदास जाति अरोड़ा(भाटिया) निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)
10. तह.खातेदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष
श्री कृष्ण कलसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री
गगन मिढा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व
डिक्री दी जाती है:- चक 23 एएमपी खाता संख्या 96/74 खाता केवलराम वगैरा ज.स. 2071-74 में
प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से प.न. 109/189 मु.न. 2 ता 4, 8 ता 11/0.253
है.प्र. कुल 1.771 है. भूमि का वादीगण को वहिव खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 6 ता
9 का इसी प्रकार हिस्सा कम किया जाकर उक्तानुसार वादीगण का खाता अलग कायम किये जाने के
आदेश दिये जाते है।

नोट :- यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज........नल........मुक्लिक........निल........वावत्........निल........खर्चा मुकदमें के मय
शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक........अदा करें।
वसक्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....19.5.2024.....को जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
राजस्थान